दो साल से खाद्य सैंपल नहीं भरे, बहाना मोबाइल लैब दुर्घटनाग्रस्त होने का

पृथ्वी सिंह, जिला अभिहीत अधिकारी

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) मन की बात कार्यक्रम में कुपोषण को भजन, गीत और संगीत के जरिए दूर करने का जुमला फेकने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के स्थानीय कार्यालय ने गंभीरता से ली है। शायद यही कारण है कि प्राधिकरण ने बीते दो साल से ज्यादा समय से एक भी खाद्य सामग्री का सैंपल नहीं भरा है। बहाना कि प्राधिकरण की मोबाइल लैब खराब पड़ी है, इसलिए सैंपल नहीं भरे गए।

देश के लोगों को मिलावट रहित शुद्ध भोजन उपलब्ध हो इसके लिए करोड़ों रुपये के बजट वाला एफएसएसएआई स्थापित किया गया। खाद्य पदार्थों में मिलावट का मौके पर ही निरीक्षण किए जाने के लिए 2017 में प्राधिकरण को मोबाइल लैब मिली थी। कोई भी व्यक्ति 25 रुपये शुल्क अदा कर किसी भी खाद्य सामग्री की जांच का आवेदन कर सकता है। प्राधिकरण की मोबाइल लैब मौके पर पहुंच कर सैंपल की जांच कर तुरंत ही शुद्धता और मिलावट की जानकारी दे देती थी। इसके आधार पर कार्रवाई होती थी।

छोटे से छोटे काम का ढिंढोरा पीटने वाली खट्टर सरकार के नेताओं ने शहर के मिलावट खोरों की खैर नहीं जैसे दावे कर वाहवाही लूटी थी। प्राधिकरण के भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार मोबाइल वैन के आने पर लोगों की मिलावटी सामान की शिकायतें बढ़ गईं। शिकायतों पर जांच और कार्रवाई करना अधिकारियों की मजबूरी बन गई। कार्रवाई शुरू हुई तो उन दुकानदारों ने विरोध शुरू कर दिया जो सुविधा शुल्क देते थे। दुकानदारों का तगड़ा विरोध देखते हुए सैंपलिंग प्रक्रिया धीमी तो की गई लेकिन रुक नहीं सकी। करीब दो साल पहले मोबाइल लैब संदिग्ध रूप से दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क किनारे खंती में पलट गई। वैन को मरम्मत के लिए दिल्ली वर्कशॉप भेज दिया गया जो आज तक बन कर नहीं आई। इसके बाद से खाद्य सामग्रियों के सैंपल नहीं भरे गए। अधिकारियों के पास बहाना है कि मोबाइल लैब नहीं है इसिलए सैंपल नहीं भरे जा रहे। मोबाइल लैब के पहले भी तो सैंपल भरे जाते थे इस सवाल पर अधिकारी मौन हो जाते हैं।

सच्चाई यह है कि इन निकम्मे अधिकारियों की नीयत साफ नहीं है वरना इतने दिन में तो कोई वैन पचासों बार रिपेयर करा कर मंगाई जा सकती थी, वैन की छोड़िए अधिकारी खुद भी सैंपल भर सकते थे। लेकिन अगर सैंपल भरा तो दुकानदार सुविधा शुल्क रोक देंगे, जनता जहर खाती है तो खाए, दुकानदार मिलावटी और घटिया खाद्य सामग्री परोसें इससे इनको क्या?

शिकायत की तो कहा जाएगा कि खुद ही खाद्य सामग्री का सैंपल लेकर आइए, जांच के लिए भेजा जाएगा, अगर गड़बड़ी मिली तब ही प्राधिकरण दुकान पर जाकर नया सैंपल भरेगा। बहुत संभव है कि दुकानदार को सूचना भी मिल जाए कि अमुक व्यक्ति ने उसकी शिकायत की है और सैंपल भेजा है। क्या पता रास्ते में सैंपल ही बदल जाए या फिर यहीं ले देकर सब कुछ शुद्ध हो जाए। इस बीच जनता मोदी की मन की बात एपिसोड 92 की सलाह यानी गीत, संगीत, भजन गाकर मिलावटी खाने के जहरीले प्रकोप से बचती रहे।

होमगार्ड में भी रिश्वत का चक्कर ?

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) बीते सप्ताह मीडिया में खबर छाई रही कि नगर निगम मुख्यालय परसर में स्थित होमगार्ड के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट कार्यालय के क्लर्क जितेन्द्र व चपरासी विजेन्द्र को विशाल वर्मा नामक एक होमगार्ड से 2500 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। रिश्वत का लेन-देन इस बात पर हो रहा था कि होमगार्ड वर्मा को दोबारा से ट्रैफिक पुलिस के साथ भी काम पर लगाया जाए।

बेशक रिश्वत के इस लेन-देन का मामला पहली बार सामने आया है। लेकिन यह एक हकीकत है कि तमाम होमगार्डों की पहली पसंद ट्रैफिक पुलिस के साथ ही काम करने की होती है। इसके लिये वे काफ़ी समय से सम्बन्धित बाबू अथवा अधिकारी को चढ़ावा चढ़ाते आ रहे हैं। गौर तलब है कि बाबू एवं चपरासी की कोई औकात नहीं कि वे होमगार्ड को कोई तैनाती दे सकें तमाम तैनातियां डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट द्वारा ही की जाती हैं। इसलिए असली रिश्वतखोर तो डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट है, क्लर्क व चपरासी तो मात्र मोहरे हैं।

ट्रैफिक में तैनाती का कारण यह है कि यहां होमगार्ड की दिहाड़ी अच्छी खासी बन जाती है। सड़क पर चलने वाले वाहनों से नकद वसूली, पुलिसकर्मी खुद न करके इन्हीं होमगार्डों के माध्यम से कराते हैं। इस काम का सारा जिम्मा इन्हीं होमगार्डों के सिर पर रहता है। ऐसा करके पुलिस वाले पकड़े जाने के जोखिम से बचे रहते हैं।

करीब डेढ़ माह पूर्व बदरपुर बार्डर पर एक मोटरसाइकिल सवार से रिश्वत लेने के आरोप में एक होमगार्ड के विरुद्ध शिकायत आई थी, जबकि होमगार्ड के पास किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता। वह जो कुछ भी करता है पुलिसकर्मी के आदेशानुसार ही करता है। जाहिर है पुलिस वाले अपनी नौकरी बचाये रखने के लिये इन होमगार्डों का इस्तेमाल करते हैं। यह तथ्य तमाम अधिकारियों को ज्ञात होने के बावजूद वे इस दिशा में कोई सार्थक उपाय नहीं खोज रहे हैं।

अपराधी पड़ रहे भारी, पुलिस की ज्ञात अपराधियों से यारी

- चोरी किए गए मोबाइल से 11 बार मे 1,36,520 रुपये दूसरे खातों में ट्रांसफर किए गए

-खाता-खाताधारक और फोन नंबर की जानकारी होने के बावजूद पुलिस अपराधी तक नहीं पहुंच सकी

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) साइबर अपराध के इस आधुनिक युग में 1861 के पुलिस एक्ट के ढर्रे चल रही थानों की पुलिस इतनी सुस्त है कि अपराधियों की जानकारी होने के बावजूद न तो खुद कोई कार्रवाई करती है और न ही साइबर थाने की मदद लेती है। दस ग्राम गांजे के साथ गिरफ़्तारी दिखा कर खुद की पीठ ठोंकने में माहिर पुलिसकर्मी साइबर अपराध में शामिल लोगों को कथित पूछताछ के बाद छोड़ने की कला भी खूब जानते हैं। चोर ने मोबाइल चोरी कर उसके बैंक एप का इस्तेमाल करते हुए 11 बार में 1.36 लाख रुपये ट्रांसफर कर लिए, 17 दिन बीत जाने के बाद भी थाना पुलिस का कहना है कि उसे साइबर क्राइम की जानकारी नहीं है, इसलिए अपराधी तक नहीं पहुंच पा रही।

पेशे से वकील सेक्टर 11 निवासी शिव कुमार जोशी 13 मई को खरीदारी करने सेक्टर सात की सब्जी मंडी गए हुए थे। वहां किसी ने उनका मोबाइल चोरी कर लिया। वह मोबाइल चोरी की शिकायत दर्ज कराने शाम आठ बजे सेक्टर सात चौकी पहुंचे। वहां मौजूद पुलिसकर्मी मोबाइल चोरी की जगह गुमशुदगी दर्ज कराने पर अड़ गया। उन्होंने बताया कि वे वकील हैं तो भी पुलिसकर्मी ने मोबाइल चोरी की रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया। करीब छह घंटे की जद्दोजहद के बाद आखिरकार रात दो बजे पुलिस ने मोबाइल चोरी का केस दर्ज तो किया लेकिन चोर को तलाशने की जहमत नहीं उठाई। इसका फायदा उठाते हुए चोर ने उनके मोबाइल में

शिकायतकर्ता द्वारा चोर की उक्त फोटो तथा बैंक से निकाले गये पैसे को प्राप्त करने वाले का खाता व अता-पता बताने के बावजूद न कोई गिरफ्तारी न कोई बरामदगी का मतलब क्या समझा जाये ?

पेटीएम एप का इस्तेमाल कर उनके तीन बैंक खातों से 1,36,520 रुपये 11 बार में अपने साथी के खाते में ट्रांसफर कर लिए। उन्होंने तुरंत ही इसकी जानकारी सेक्टर सात चौकी इंचार्ज को दी और कार्रवाई करने की मांग की। चौकी इंचार्ज ने जवाब दिया कि उसे साइबर अपराध की (तफ्तीश करने की) जानकारी नहीं है। पुलिस कार्रवाई से निराश शिव कुमार जोशी ने खुद ही बैंक जाकर बीते ग्यारह ट्रांजेक्शन की जानकारी इकट्ठा की। किस खाते में कितना धन ट्रांसफर किया गया है, खाता धारक का नाम, पता और फोन नंबर की भी जानकारी उन्होंने इकट्ठा कर पुलिस को उपलब्ध करा दी। बावजूद इसके पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार नहीं किया।

साइबर ठग ने दिल्ली में रहने वाले अपने एक साथी के खाते में उक्त सारी रकम ट्रांसफर की थी। उसका अता-पता बताने के बाद पुलिस ने उससे हल्की-फुल्की पूछ-ताछ करके छोड़ दिया। पुलिस ने उससे मोबाइल एवं रकम बरामदगी तो क्या करनी थी, उसके गिरोह के लोगों की जानकारी भी नहीं ले पाई। होना तो यह चाहिए था कि पुलिस उस युवक के जरिए असली अपराधी तक पहुंचती लेकिन साइबर अपराध से अनजान चौकी इंचार्ज ने अपराधी के सहयोगी को बेगुनाह मानते हुए जाने दिया।

किसी अपराध की घटना में केस की छानबीन के दौरान होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए पीड़ित पक्ष से नामजद के अलावा 'कुछ अज्ञात लोग' भी लिखवाने वाली पुलिस ने इस मामले में ज्ञात सहयोगी को ऐसे ही छोड़ दिया यह आश्चर्य और जांच का विषय है। जैसे-जैसे समय बीतता जा रहा है बैंक खाते से निकाली गई राशि खुर्द बुर्द किए जाने की आशंका बढ़ती जा रही है।

मज़दूरों का हितैषी नहीं, मालिकान का दलाल है श्रम विभाग

टीबी के शिकार मजदूरों की अर्से से नहीं हो रही जांच

फरीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) मजदूर बहुल जिले का श्रम विभाग श्रमिकों की सेहत के प्रति गंभीर नजर नहीं आ है। अधिकारी फैक्टरियों का भौतिक निरीक्षण किए बिना ही कागजों पर कामगारों की स्वास्थ्य जांच से लेकर उनके काम करने की स्थितियां बेहतर घोषित कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं। जाहिर है कि फैक्टरी मालिकों के हक में सब कुछ ओके होने की रिपोर्ट सुविधा शुल्क के बिना मुमकिन नहीं होती, मज़दूर मरें या जिएं फैक्टरी मालिक और श्रम विभाग के अधिकारी दोनों को इससे कोई मतलब नहीं।

श्रम विभाग के फैक्टरी अनुभाग पर फैक्टरियों में मजदूरों के स्वास्थ्य से लेकर काम की बेहतर परिस्थितियां, उनके सुरक्षा के मानक लागू करवाने का जिम्मा है। फैक्टरी अनुभाग में इसके लिए बाकायदा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विंग है जिसमें अधिकारियों की फौज तैनात है।

नियमानुसार इन अधिकारियों को समय-समय पर फैक्टरी में जाकर यह सुनिश्चित कराना होता है कि मजदूरों को काम की बेहतर परिस्थितियां जैसे स्वच्छ हवा, रौशनी, स्वच्छ पेयजल, काम करने की पर्याप्त जगह उपलब्ध, सुरक्षा उपकरण आदि मुहैया हों। मजदूरों की संख्या के आधार पर फैक्टरी में मूत्रालय और शौचालय हों, इनमें सफाई की उचित व्यवस्था हो। फैक्टरी की कैंटीन में मजदूरों के लिए उचित दर पर पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जाएं।

इसके अलावा मजदूरों की फैक्टरी में ही स्वास्थ्य जांच कराने का जिम्मा भी इस विंग पर है। इसमें तैनात चिकित्सकों की जिम्मेदारी है कि समय समय पर फैक्टरियों में जाकर टीबी और इस जैसी अन्य गंभीर या संक्रामक बीमारियों से ग्रस्त मरीजों की पहचान कर उनका इलाज शुरू कराएं। इसके लिए विभाग के पास एक मोबाइल मेडिकल जांच वैन थी जो बीसियों साल से इस्तेमाल नहीं होने के कारण खराब हो गई। वैन में एक्सरे, थूक, बलगम आदि की जांच की व्यवस्था थी। सच्चाई यह है कि जब वैन ठीक थी तब भी फैक्टरियों में स्वास्थ्य जांच के नाम पर खानापूर्ति होती थी और फैक्टरी मालिकों को सब बढ़िया होने का सर्टिफिकेट थमा दिया जाता था। अधिकतर मामलों में तो फैक्टरी कार्यालय में बैठे-बैठे ही सबकुछ ओके होने की रिपोर्ट तक तैयार कर दी जाती रही है।

फैक्टरी मजदूर जोखिमपूर्ण और अस्वास्थ्यकर माहौल में काम करने को मजबूर हैं। मेडिकल जांच वैन खराब होने के कारण बीसियों साल से फैक्टरी श्रमिकों की टीबी, श्वास रोग और इस तरह की गंभीर बीमारियों की जांच नहीं हुई है। फलस्वरूप फैक्टरियों में टीबी के मरीज श्रमिकों की संख्या में इजाफा होने लगा जो अभी भी जारी है। संक्रामक बीमारी होने के कारण यह बीमारी एक मजदूर से दूसरों में फैलने लगी।

संक्रमित मजदूर भी दिहाड़ी न मर जाए इसलिए जांच नहीं कराते। फैक्टरी मालिक भी अपने मजदूरों की सेहत के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं समझते उन्हें तो बस काम से मतलब है मजदूर चाहे टीबी का शिकार हो या किसी अन्य बीमारी से उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं।

श्रम विभाग के अधिकारियों को चाहिए कि वह मजदूरों को फैक्टरियों में बेहतर और स्वास्थ्यकार काम का माहौल उपलब्ध कराने के लिए फैक्टरी मालिकों पर दबाव बनाएं।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया।